राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

पत्रांक :– आर.(एस.बी.टी.ई.)–01/2011 पार्ट–3– 1785 /पटना, दिनांक –30.06.2020

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक,
सह सदस्य सचिव, संबंद्धन समिति,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

Principal
C.R.K. Polytechnic, Hajipur (185)

विषय :– C.R.K. Polytechnic, Hajipur (185) को सत्र 2020–2021 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से औपबंधिक संबंद्धन का विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के संबंद्धन समिति द्वारा दिनांक–30/06/2020 के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार C.R.K. Polytechnic, Hajipur (185) को अभातशिप से प्राप्त अनुमोदन पत्रांक–F.No.-Northern/1-7022096594/2020/EOA dt.-30.04.2020 में अंकित शाखाओं का एवं शैक्षणिक अनुश्रवण समिति द्वारा दिनांक– 20.06.2020 के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु सत्र 2020–2021 के लिए राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ औपबंधिक संबंद्धन का विस्तार किया जाता है।

(1) संस्थान को समय–समय पर निर्गत विभागीय एवं अभातशिप के निदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

(2) राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के निदेशानुसार संस्थान में पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं ऐकेडमिक कैलेण्डर का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) विभागीय अधिसूचना संख्या–2143, दिनांक–12/10/07 द्वारा अधिसूचित संबद्धता Norms & Guidelines में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना संस्थान का दायित्व होगा।

(4) i. प्रत्येक निजी संस्थानों के वेबसाईट पर संस्थानों में कार्यरत शिक्षक/अनुदेशक/लिपिक/प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान एवं तकनीकी) आदि का नाम, फोटो, पदनाम के साथ upload किया जाए।

ii. संस्थान के प्राचार्य, प्रयोगशाला/कर्मशाला/वर्गाध्ययन कक्ष पूरी तरह से well maintained and update रखेंगे।

iii. AICTE के Norms & Guidelines के अनुसार सभी निजी संस्थान अपने प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपकरण/मशीन आदि अधिष्ठापित करेंगे।

iv. संस्थान के छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल के गुणवत्ता के उन्नयन हेतु आवश्यक समीक्षा एवं कार्रवाई संस्थान अपने स्तर से करेंगे।

(5) निरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित Deficiency

Deficiency	–	NIL

PRINCIPAL
C.R.K. POLYTECHNIC
Hajipur (Vaishali)

(6) सत्र 2020–2021 के लिए ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा निर्गत Letter of Approval (LOA) में अंकित त्रुटियों (यदि हो) एवं निरीक्षण समिति द्वारा सत्र 2020–2021 के लिए प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित त्रुटियों (यदि हो) के निराकरण तीन माह के अन्दर करने के शर्त पर औपबंधिक संबंद्धन का विस्तार देने का निर्णय लिया गया।

विश्वासभाजन,

30.6.2020

परीक्षा नियंत्रक,
सह सदस्य सचिव, संबंद्धन समिति।

30.6.20

Attested

PRINCIPAL
C.R.K. POLYTECHNIC
Hajipur (Vaishali)

P.T.O.